प्रबंध निदेशक, बैंगलोर महानगर परिवहन निगम

बनाम

सरोजम्मा एवं अन्य

2008 की सिविल अपील संख्या 2897

22 अप्रेल, 2008

(एस.बी.सिन्हा और वी.एस.सिरपुरकर, जेजे.)

मोटर वाहन अधिनियम, 1988; धारा 163-ए एवं 166 और अनुसूची - द्वितीय

दुर्घटना में मृत्यु- क्षतिपूर्ति की राशि का निर्धारण- धारा 163 ए तथा अनुसूची द्वितीय ए में निर्धारित सूत्र के अनुसार- साधारण तौर पर मुआवजे की राशि की गणना करने में मृतक की कुल आय में से एक तिहाई आय को काटा जाता है। प्रस्तुत प्रकरण में मृतक अभिकथित तौर पर टयूटर के रूप में सेवायें दे रहा था और उसका चयन सेना में से सेना शिक्षक ट्रेंनिग इंस्टीटयूट में हो गया था ओर वह शिक्षक बनने की योग्यता रखता था- ऐसी स्थिति में उसकी अनुमानित आय तीन हजार रूपये प्रतिमाह उच्चतर की ओर नहीं कही जा सकती- इस मामले में उच्च न्यायालय द्वारा 15 के गुणक का प्रयोग करते हुये क्षतिपूर्ति निर्धारित की है जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई भी कारण नहीं है- किन्तु उच्च न्यायालय द्वारा ब्याज की दर को

सात से दस प्रतिशत अप्रसांगिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुये किया गया है। अतः ब्याज की दर परिवर्तित करके सात प्रतिशत की जाती है- दिशा-निर्देश जारी।

न्याय संगत मुआवजे का सिद्धान्त- इसकी प्रयोज्यता।

अपीलार्थी की एक बस दुर्घटना का शिकार हो गई जिसमें प्रत्यर्थी संख्या-1 दावेदार के पुत्र के उस बस में यात्रा करते हुये दुर्घटना में चोटें आई और बाद में चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई तब प्रत्यर्थी संख्या-1 ने दावा पेश किया। न्यायाधिकरण ने मुआवजे की गणना के लिए 16 का गुणक का प्रयोग करते हुये नुकसानी के क्षतिपूर्ति का निर्धारण किया। उच्च न्यायालय ने क्षतिपूर्ति का निर्धारण करने के लिए 16 के गुणक के स्थान पर 15 के गुणक का प्रयोग किया किन्तु बयाज की दर सात प्रतिशत से बढाकर 10 प्रतिशत कर दी जिससे यह वर्तमान अपील पेश की गई है।

अपीलार्थी ने तर्क दिया कि इस तरह का कोई साक्ष्य नहीं है कि मृतक की आय प्रतिमाह तीन हजार रूपये थी तथा दुर्घटना के समय दावेदारी आयु 45 साल थी और उच्च न्यायालय के द्वारा मृतक को अविवाहित मानते हुये उसके साथ 45 का गुणक करके उच्च न्यायालय द्वारा एक गंभीर त्रुटि की गई है एवं दावेदार एक माता है। तथा न्यायाधिकरण एवं उच्च न्यायालय द्वारा क्षतिर्पूति की राशि का निर्धारण करते समय 50 प्रतिशत आमदनी में से कटौती करनी चाहिए थी तथा

उच्च न्यायालय द्वारा ब्याज दर 7 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत की गई है जिसका कोई औचित्य नहीं है।

प्रत्यर्थी ने तर्क प्रस्तुत किया कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुऐ माता ने अपना इकलोता पुत्र खो दिया है। न्यायाधिकरण द्वारा सम्पत्ति की हानि तथा प्रेम एवं स्नेह की हानि के संबंध में भी मुआवजे का आदेश देना चाहिये था तथा सभी मामलों में एक तिहाई व्यक्तिगत खर्चो की कटौती लागू की जानी चाहिए थी एवं इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि वर्ष 1998 में दुर्घटना हुई थी, मुआवजे की राशि पर 10 प्रतिशत ब्याज न्यायसंगत था।

आंशिक रूप से न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार की गई।

अभिनिर्धारितः 1.1 मोटर वाहन अधिनियम की धारा 163 ए के प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुये दावेदार के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह वाहन चालक की लापरवाही के तथ्य को साबित करे और भी दलील देने की आवश्यकता नहीं है कि मृत्यु वाहन स्वामी के किसी गलत कार्य या उपेक्षा या चूक से घटित हुई है। मुआवजे की राशि का निर्धारण करने के लिए अनुसूची द्वितीय के अनुसार निर्धारण किया जाना चाहिए।(पैरा-5 एवं 6) [817-बी, सी, डी]

1.2 अनुसूची में संरचित सूत्र यह प्रावधान करता है कि क्षतिपूर्ति का निर्धारण करते समय मृतक की आय में से उसके स्वयं के खर्चों की एक

तिहाई कटौती होनी चाहिए यदि वह जीवित रहता। साधारण तौर पर मृतक की आय में से एक तिहाई की कटौती होनी चाहिए ना कि आधी आय की कटौती होनी चाहिए। (पैरा-7 एवं 8) [817-ई, एफ, जी]

1.3 मुआवजे की राशि का निर्धारण करते समय सबसे प्रमुख तथ्य मृतक की आय है। मृतक एक शिक्षक था और सेना शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में चयनित था तथा उसमें अध्यापक बनने की क्षमता थी। इस प्रकार उसकी प्रतिमाह अनुमानित तीन हजार रूपये आय को बहुत अधिक नहीं कहा जा सकता। (पैरा- 8) [817-जी, 818-ए]

2.1 वह कौनसा कानूनी सिद्धान्त होना चाहिए जिसके आधार पर युक्तियुक्त क्षतिपूर्ति का निर्धारण किया जा सकता है और बहुत सारे मामलों में इस न्यायालय द्वारा इस पर ध्यान दिया गया है इस न्यायालय द्वारा एक बाद एक कई मामलों में गुणक के सिद्धान्त का प्रयोग करने के लिए सिद्धान्त बनाये गये तथा कई मामलों में एक संकर तरीके के द्वारा न्यायाधिकरणों के द्वारा वस्तुनिष्ठता द्वारा कार्य किया जाना देखा गया है तथा विधि एवं उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देश को लागू नहीं किया गया है। न्यायालय द्वारा इस अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में कई खामियां देखी गई हैं तथा यह भी राय दी गई थी कि आम तौर पर 16 के गुणक से अधिक का गुणक का प्रयोग नहीं होना चाहिए। (पैरा- 11) [819-ई,एफ,जी]

महाप्रबंधक केरला सड़क परिवहन निगम, त्रिवेन्द्रम बनाम सुसम्मा थॉमस (श्रीमती) एवं अन्य (1994) 2 एस.सी.सी 176 और यू.पी. राज्य सड़क परिवहन निगम एवं अन्य बनाम त्रिलोक चन्द्र एवं अन्य [(1996) 4 एस.सी.सी. 362-संदर्भित।

2.2 इस मामले में न्यायाधिकरण द्वारा इस बिन्दु पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया कि दावेदार की आयु 45 साल या इससे अधिक थी तथा न्यायाधिकरण द्वारा 16 का गुणक क्यों लागू किया गया यह भी नहीं बताया गया है। उच्च न्यायालय द्वारा 15 का गुणक किस कानूनी आधार पर लागू किया गया वह भी नहीं बताया गया हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी के वकील ने ही सही गुणक 15 का होना बताया है तथा16 का नहीं जिसे कि उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है तथा उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं किया जाना उचित है। (पैरा-13) [820-एफ, जी]

फकीरप्पा और अन्य बनाम कर्नाटक सीमेंट पाईप कारखाना और अन्य (2004) 2 एस.सी.सी. 473-संदर्भित।

2.3 हालांकि उच्च न्यायलय ने इस अप्रसांगिक तथ्य पर विचार किया, अर्थात, कि मृतक की आयु को ध्यान में रखते हुये दावेदार की मानसिक पीड़ा को ध्यान में रखते हुये ब्याज की दर का ध्यान रखा गया। ब्याज की दर में वृद्धि का कोई भी न्यायसंगत कारण नहीं है। तथा न्याय

के उददेश्यों की प्राप्ति हो जायेगी अगर ब्याज की दर न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित मुआवजा राशि पर घटाकर 7 प्रतिशत की जाती है। (पैरा- 14) [820-एच, 821-ए,बी]

सिविल अपील क्षेत्राधिकार: सिविल अपील नंबर 2897/2008

कर्नाटका उच्च न्यायालय स्थित बैंगलोर के एमएफए नंबर 5584/03 (एमवी) सी/डब्ल्यू.सीआर. ओबी 236/2004 (एमवी) में अंतिम निर्णय एवं आदेश दिनांक 28.03.2006 से।

आर.एस. हेगड़े, चन्द्रप्रकाश, जे.के. नैयर और पी.पी.सिंह अपीलार्थी के लिए।

किरण सूरी उत्तरदाता के लिए।

एस.बी. सिन्हा, जे. द्वारा इस न्यायालय यह निर्णय दिया गया।

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. उत्तरदाता नंबर 1 का पुत्र रवि कुमार (मृतक) दिनांक 25.11.1998 को अपीलार्थी की बस में यात्रा कर रहा था जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिसमें मृतक को चोटें आई और चोटों के परिणामरूवरूप उसकी मृत्यु हो गई। वह अविवाहित था व अठारह वर्ष का था। उत्तरदाता नंबर 1 मृतक के एकमात्र उत्तराधिकारी एवं कानूनी प्रतिनिधि थे।

मोटर वाहन अधिनियम 1988 (संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 163 ए के प्रावधानों में एक दावा याचिका दायर की गई तथा न्यायाधिकरण में16 के गुणक को प्रयोग करते हुए क्षतिपूर्ति निर्धारित करते हुए निर्भरता के नुकसान की गणना3,84,000/-रूपये की तथा न्यायाधिकरण ने मृतक की मासिक आय 3,000/- रूपये प्रतिमाह निर्धारित की और एक तिहाई राशि को व्यक्तिगत खर्चों के लिए काट दिया गया।

जिसके विरूद्ध अपीलार्थी के द्वारा अपील दायर की गई थी और उच्च न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में 16 के गुणक के स्थान पर 15 के गुणक का प्रयोग किया और ब्याज की दर 7 प्रतिशत से बढाकर 10 प्रतिशत कर दी एवं उत्तरदाता संख्या-1 को 3,64,500/-रूपये (3,60,000+2,000+2,500) रूपये की कुल राशि का हकदार माना गया।

3. अपीलार्थी की ओर से श्री आर.एस. हेगड़े विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क दिया गया कि-

(I) यह कि इस तथ्य का कोई साक्ष्य नहीं है कि मृतक की प्रतिमाह आय 3,000/- रूपये थी।

(ii) उत्तरदाता संख्या-1 की घटना के समय आयु 45 वर्ष थी और उच्च न्यायालय ने 15 का गुणक का प्रयोग करके गंभीर त्रुटि की है क्योंकि मृतक अविवाहित था।

(iii) दावेदार उसकी माता होने के कारण न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय को मृतक की आय में से 50 प्रतिशत की कटौती करनी चाहिए थी।

(iv) उच्च न्यायालय द्वारा ब्याज की दर 7 प्रतिशत से बढाकर 10 प्रतिशत करने में एक गंभीर त्रुटि की गई है जिसका कोई औचित्य नहीं दर्शाया गया है।

4. उत्तरदाता की ओर से सुश्री किरण सूरी विद्वान अधिवक्ता ने दूसरी तरफ से यह तर्क दिया कि-

(I) यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें इस न्यायालय को अनुच्छेद 136 भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत अपनी विवेकाधीन अधिकारिता का प्रयोग करना चाहिए।

(ii) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि माता के द्वारा अपने एकमात्र पुत्र को खो दिया गया है न्यायाधिकरण के द्वारा संपत्ति के नुकसान और प्रेम और स्नेह के संबंध में भी क्षतिपूर्ति प्रदान करनी चाहिए थी।

(iii) व्यक्तिगत खर्चों के लिए एक तिहाई राशि की कटौती सभी मामलों में लागू होती है अतः विवादित निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

(iv) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दुर्घटना वर्ष 1998 में हुई थी इसलिए ब्याज की दर 10 प्रतिशत पूरी तरह न्यायसंगत है।

5. अधिनियम की धारा 163 ए को एक्ट नंबर 54 द्वारा वर्ष 1994 में जोड़ा जाकर 14.11.1994 से प्रभावी किया गया है इस प्रावधान के अनुसार, यह आवश्यक नहीं है कि दावेदार चालक के कृत्य में लापरवाही को साबित करे। यह भी आवश्यक नहीं है कि मृत्यु वाहन के स्वामी के किसी दोषपूर्ण कार्य या उपेक्षा या लापरवाही से हुई थी।

6. अधिनियम की अनुसूची द्वितीय के अनुसार क्षतिपूर्ति की मात्रा को निर्धारित किया जाता है जिसके प्रावधान अनुसार क्षतिपूर्ति की राशि में अंतिम संस्कार और सहचर्य(यदि लाभार्थी जीवनसाथी है) संपत्ति का नुकसान और चिकित्सा खर्च का भुगतान किया जाता है।

7. द्वितीय अनुसूची के द्वारा निर्धारित सूत्र के अनुसार आमतौर पर निर्धारण किया जाता है तथा इस संरचित सूत्र अनुसार एक तिहाई राशि मृतक की आमदनी में से उसके स्वयं के खर्चे के पेटे काटी जाती है जो उसके द्वारा इस्तेमाल की जाती यदि वह जीवित होता।

8. अधिनियम की धारा 166 के तहत मुआवजा निर्धारित करने के लिए न्यायाधिकरण दावेदार के वास्तविक नुकसान का पता लगाता है और इस संबंध में दावेदार के नुकसानी का पता लगाने के लिए कोई भी आकस्मिक सूत्र की परिकल्पना नहीं है और हमारी यह राय है कि आमतौर पर मृतक की आय में से एक तिहाई आय की कटौती होनी चाहिए और मृतक की आय में से आधी आय की कटौती नहीं होनी चाहिए।

मुआवजे की राशि का निर्धारण करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य मृतक की आय है मृतक एक अध्यापक था उसे सेना शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में भर्ती करवाया गया था तथा उसमें शिक्षक बनने की आवश्यक क्षमता थी। इस प्रकार उसकी प्रतिमाह अनुमानित आय 3,000/- रूपये को बहुत ऊंचा नहीं कहा जा सकता है।

9. इस न्यायालय द्वारा महाप्रबंधक, केरल राज्य सड़क परिवहन निगम, त्रिवेंद्रम बनाम सुसम्मा थॉमस (श्रीमती) और अन्य [(1994) 2 एस. सी. सी. 176)] निम्नानुसार अभिनिर्धारित है।

> "9. क्षतिपूर्ति के लिए नुकसानी का आंकलन आश्रित कठिनाईयों से घिरा हुआ है क्योंकि चीजों की प्रकृति और कई अभेद्य बातों का ध्यान रखना पड़ता है जैसे मृतक की जीवन प्रत्याशा और उसके आश्रित, मृतक के द्वारा अपनी शेष जीवन में कमाई जाने वाली राशि, और अपने जीवन अवधि में मृतक के द्वारा अपने आश्रितों को इस दौरान जो योगदान दिया जाता, तथा इस बात की संभावना की मृतक जीवित नहीं रहता या अनुमानित समय अवधि में आश्रित जीवित नहीं रहते, मृतक कोई बेहतर रोजगार प्राप्त करता या आय प्राप्त करता या अपनी आय या नौकरी पूरी तरह से खोता।"

10. मामले के इस पहलू को भी इन मामलों में विचार किया गया। यू.पी. राज्य सड़क परिवहन निगम अन्य बनाम त्रिलोक चंद्रा और अन्य [(1996) 4 एस.सी.सी. 362] में तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निम्न शर्तें निर्धारित की गई।

"9. कि अभिनिर्धारित मुआवजा राशि में दो तत्व होते हैं, एक मृतक की संपत्ति को दुर्घटना से हुआ नुकसान और दूसरा दुर्घटना से परिवार के सदस्यों को उसकी मृत्यु से हुआ आर्थिक नुकसान है। इन दोनों तत्वों के संबंध में क्षतिपूर्ति घातक दुर्घटना अधिनियम,1855 की धारा 1 और 2 के तहत गोबाल्ड मोटर सेवा के मामले में किया गया था। इस मामले में न्यायालय द्वारा यह ध्यान रखा गया कि मुआवजे का निर्धारण करते समय प्रथम और द्वितीय तत्वों को शामिल किया जाना चाहिए। न्यायालय के द्वारा एक दृष्टान्त उदाहरण दिया गया जिसे लाभ के लिये यहां उद्दत किया जाता है।

इस उदाहरण के द्वारा स्थिति स्पष्ट होती है कि मृतक की संपत्ति की वार्षिक आय एक्स है तथा वह अपने आश्रितों पर वार्षिक वाई खर्च करता है (हम उसके द्वारा किए गए अन्य खर्चों की अनदेखी करेंगे) एक्स-वाई अर्थात् जेड राशि

मृतक प्रतिवर्ष बचाता है। आश्रितों पर मृतक के द्वारा किया गया खर्च प्रसांगिक कटौती के अधीन उसके परिवार के सदस्यों को हुआ आर्थिक नुकसान है जो मृतक की मृत्यु होने पर प्रासंगिक खर्चों को घटाकर उसके परिवार के सदस्यों को हुआ नुकसान है। यदि दावेदार दोनों ही मामलों में समान हैं और अगर उन्हें मुआवजा मिलता है संपत्ति के हुए नुकसान के लिए वे दावा नहीं कर सकते हैं। फिर से व्यक्तिगत नुकसान के बिन्दु के नीचे पूंजीकृत आय जो उन पर खर्च की गई होगी यदि मृतक जीवित था इसके विपरीत धारा 1 के अंतर्गत यदि उन्हें क्षतिपूर्ति मिलती है उस राशि के बराबर जो राषि मृतक उ नपर खर्च करता यदि वे जीवित होते तो उस सीमा तक क्षतिपूर्ति की राशि में से अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति के उनके दावे में कटौती होती। इसे अलग तरीके से रखने के लिए यदि धारा 1 के तहत उन्हें वाई का पूंजीकृत मूल्य मिला तथा धारा 2 के अंतर्गत उन्हें केवल पूंजीकृत मूल्य जेड मिलेगा। इस प्रकार पूंजीकृत मूल्य वाई+जेड= एक्स पूंजीकृत मूल्य उसकी पूरी आय से होगा।"

11. वह कानूनी सिद्धान्त क्या होना चाहिए जिसपर न्यायसंगत मुआवजा प्रदान किया जाना चाहिए, इस विषय पर इस न्यायालय द्वारा

कार्य किया गया है। इस न्यायालय द्वारा अनेकों मामलों में यह पाया गया है कि इस न्यायालय द्वारा निर्धारित गुणक सिद्धान्त को कई मामलों में नहीं माना गया है तथा एक संकर तरीका न्यायाधिकरणों द्वारा अपनाया जाना पाया गया है तथा विधि एवं उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्त लागू नहीं किये गए हैं तथा न्यायालय द्वारा द्वितीय अनूसूची में भी कई कमियां पाई गई हैं और यह मत दिया गया है कि आमतौर पर गुणक 16 से अधिक नहीं होना चाहिए।

12. हमारा ध्यान इस न्यायालय के निर्णय फकीरप्पा बनाम कर्नाटक सीमेन्ट पाईप कारखाना और अन्य [(2004) 2 एस.सी.सी. 473] की ओर आकृष्ट किया गया जिसमें यह निर्धारित किया गया

> "7.व्यक्तिगत खर्चों की कटौती के लिए कटौती की राशि का प्रतिशत कोई कठोर नियम और सूत्र सर्वव्यापी तरीके से लागू नहीं किया जा सकता। यह प्रत्येक मामले में परिस्थितियों पर निर्भर करता है। मृतक निर्विवाद रूप से कुंवारा था, बीमाकर्ता का यह रूख है कि विवाह के पश्चात माता-पिता के लिए योगदान कम होता है इसलिए एक समग्र दृष्टिकोण रखते हुए न्यायाधिकरण एवं उच्च न्यायालय ने न्यायसंगत तरीके से कटौती की।

8. यह ध्यान रखना है कि दावा याचिका में माता-पिता की बताई गई आयु पूरी तरह से अविश्वसनीय है अगर मृतक पोस्टमॉर्टम के समय 27 वर्ष की आयु का पाया गया और इस पर कोई विवाद नहीं है तो ऐसी स्थिति में पिता और माता की आयु क्रमशः 38 और 35 वर्ष नहीं हो सकती है जैसा कि दावा याचिका में दावा किया गया है। याचिका, जो भी हो, विशेष रूप से ध्यान रखते हुए इस मामले में व्यक्तिगत खर्चों के लिए एक तिहाई मासिक आमदनी में से कटौती को सीमित करना चाहिए यद्यपि अपनाया गया गुणक थोड़ा ऊपर की ओर प्रतीत होता है। बीमाकर्ता द्वारा लिया गया यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता कि न्यायाधिकरण एवं उच्च न्यायालय के समक्ष गुणक के निर्धारण के लिए बीमाकर्ता की ओर से चुनौती देने वाला कोई नहीं था तथा उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी के द्वारा अपील फाईल करते समय यह तर्क भी नहीं लिया गया था।"

13. न्यायाधिकरण द्वारा इस बिन्दु पर कोई निष्कर्ष नहीं लिया गया कि दावेदार 45 वर्ष या उससे कम आयु की थी तथा न्यायाधिकरण द्वारा 16 का गुणक क्यों प्रयोग में लाया गया यह नहीं बताया गया है। उच्च न्यायालय द्वारा भी यह नहीं बताया गया है कि उसके द्वारा 15 का गुणक

क्यों प्रयोग किया गया हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने स्वयं यह कहा कि सही गुणक 15 होगा तथा 16 नहीं होगा जिसे उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया हम इस मामले में इस निष्कर्ष में हस्तक्षेप का इरादा नहीं रखते हैं।

14. हालांकि उच्च न्यायालय ने एक अप्रासंगिक तथ्य को विचार में लिया अर्थात् जो कि ब्याज की दर का निर्धारण करने में मृतक की आयु और दावेदार को हुई मानसिक पीड़ा का है हम ब्याज की दर में वृद्धि का कोई औचित्य नहीं देखते हैं इसलिए हमारा मानना है कि न्याय प्रदान हो जायेगा यदि ब्याज की दर को घटाकर न्यायाधिकरण के निर्देशानुसार 7 प्रतिशत किया जाता है।

15. अपील की अनुमति केवल उपरोक्त अनुसार दी जाती है। कोई खर्चा नहीं।

एस.के.एस. अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सुरेन्द्र खरे (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।